

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से 3 में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 'लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग' चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा (स्टैंडअलोन) के निष्कर्षों, विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियों का प्रतिवेदन और राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।